



कार्यालय आदेश

कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय परिसर एवं समस्त राजकीय/अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को आदेशित किया जाता है कि दिनांक 15 मई, 2021 तक विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालय पूर्णतः बंद रहेंगे तथा कार्यालय एवं शैक्षणिक विभाग तथा परिसर में कोई छात्र, शिक्षक, कर्मचारी अथवा अधिकारी उपस्थित नहीं होंगे। इस अवधि में ऑनलाइन कक्षाएं भी स्थगित रहेंगी। कृपया अनुपालन सुनिश्चित करें।

(राकेश कुमार)

कुलसचिव

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक: 913/कैम्प-कु0का0/सि0वि0वि0/2021

दिनांक 01/05/2021

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्राचार्य/प्राचार्या समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय।
2. अधिष्ठाता छात्र कल्याण/कुलानुशासक विश्वविद्यालय परिसर।
3. निजी सचिव, कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
4. वित्त अधिकारी, सिद्धार्थ सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
5. सहायक कुलसचिव, परीक्षा सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
6. प्रभारी-परीक्षा सामान्य एवं सबल कक्ष।
7. मीडिया प्रभारी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
8. कोडिंग प्रभारी को इस आशय से कि समस्त महाविद्यालयों के लॉगिन आई0डी0 एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।